



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07052026-272299  
CG-DL-E-07052026-272299

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2172]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 2026/वैशाख 16, 1948

No. 2172]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 2026/VAISAKHA 16, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2026

का.आ. 2263(अ).— केंद्रीय सरकार, पंजाब पुनगठन अधिनियम 1966 (1966 का 31), की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब राज्य में यथा प्रवृत्त, पंजाब आबादी देह (अधिकार अभिलेख) अधिनियम, 2021 (2021 का पंजाब अधिनियम संख्या 8) का इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में विस्तार करती है, अर्थात:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब आबादी देह (अधिकार अभिलेख) अधिनियम, 2021 (चंडीगढ़ तक विस्तारित) अधिनियम, 2026 है।
2. पंजाब आबादी देह (अधिकार अभिलेख) अधिनियम, 2021 में, जिसका विस्तार संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ तक किया गया है (जिसे इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), जब तक कि यहाँ अधोलिखित अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित न हो :-
  - (i) "राज्य", "पंजाब", "पंजाब राज्य", "समस्त पंजाब राज्य" शब्दों के स्थान पर, जहाँ कहीं भी वे आते हैं, "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र" शब्द रखे जाएँगे;

(ii) "राज्य सरकार", "सरकार", "पंजाब सरकार" शब्दों के स्थान पर, जहाँ कहीं भी वे आते हैं, "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा;

(iii) "पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 (1976 का पंजाब अधिनियम संख्या 42) या पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 (1911 का पंजाब अधिनियम संख्या 3)" शब्दों के स्थान पर, जहाँ कहीं भी वे आते हैं, उनके स्थान पर "पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ तक विस्तार) अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 45)" शब्द रखे जाएँगे;

(iv) जहाँ कहीं भी "ग्राम समिति" शब्द आते हैं, उनके स्थान पर "स्थानीय समिति" शब्द रखे जाएँगे;

3. उक्त अधिनियम में,—

(i) धारा 1 में, उप-धारा (3) के पश्चात्, परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ii) धारा 2 में,—

(क) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(क) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है";

(ख) खंड (ख) में, "जनवरी, 2021" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "अप्रैल, 2025" शब्द और अंक रखे जाएँगे;

(ग) खंड (च) में, "या राज्य" शब्दों का लोप किया जायेगा;

(घ) खंड (ज) में, "पंजाब सरकार राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन विभाग" शब्दों के स्थान पर, "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा;

(ड) खंड (ट) में, "पंजाब पंचायती राज" शब्दों के पूर्व, "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र तक यथा विस्तारित" शब्द अंतःस्थापित किए जाएँगे;

(च) खंड (ड) में, "या राज्य" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(छ) खंड (ण) में, "पंजाब भू-राजस्व" शब्दों के पूर्व, "पंजाब पुनर्गठन (चंडीगढ़) (राज्य और समवर्ती विषयों पर विधियों का अनुकूलन) आदेश, 1968 द्वारा चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र तक यथा विस्तारित है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएँगे;

(iii) धारा 3 में, उप-धारा (2) के खंड (iv) में, "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1982 की धारा 123 और 124" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 129 और 130" शब्द और अंक रखे जाएँगे;

(iv) धारा 5 में, "किसी जिले, जिले के उप-खंड, नगरपालिका क्षेत्र या किसी गाँव में" शब्दों के स्थान पर, "चंडीगढ़ की नगरपालिका सीमा के भीतर" शब्द रखे जाएँगे;

(v) धारा 9 में, उप-धारा (2) के खंड (ii) में, "पंचायत और" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(vi) धारा 10 में, "गाँव के सरपंच के माध्यम से पंचायत को अथवा" और "यथास्थिति हो" शब्दों का लोप किया जाएगा;

- (vii) धारा 12 में, उप-धारा (3) में, शब्दों "उप-धारा (2)" के पश्चात् "या धारा 28" शब्द अंतःस्थापित किये जाएंगे;
- (viii) धारा 18 का लोप किया जाएगा;
- (ix) धारा 19 का लोप किया जाएगा;
- (x) धारा 20 में, उप-धारा (5) में, "पंजाबी" शब्द जहाँ कहीं भी आता है, उसका लोप किया जाएगा;
- (xi) धारा 25 में, उप-धारा (2) में, "राज्य विधानमंडल" शब्दों के स्थान पर, "संसद के प्रत्येक सदन" शब्द रखे जाएंगे;
- (xii) धारा 28 में,—
- (क) उप-धारा (1) में, "जुर्माना" शब्द के स्थान पर, "शास्ति" शब्द रखा जाएगा;
- (ख) उप-धारा (2) में, "जुर्माना" शब्द के स्थान पर "शास्ति" शब्द रखा जाएगा;
- (ग) उप-धारा (3) में,—
- (i) "जुर्माना" शब्द के स्थान पर "शास्ति" शब्द रखा जाएगा।
- (ii) "भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 434" (1860 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 45) शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 326(ड)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;
- (xiii) धारा 29 में, उप-धारा (2) के खंड (च) में, "जुर्माना" शब्द के स्थान पर "शास्ति" शब्द रखा जाएगा;

[फा. सं. यू.-11015/4/2025-यूटीएल]

प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव

पंजाब सरकार राजपत्र (असाधारण), 1 अप्रैल, 2021

(चैत्र 11, 1943 साका)

भाग I

पंजाब सरकार

विधि और विधायी कार्य विभाग, पंजाब

अधिसूचना

दिनांक 1 अप्रैल, 2021

**संख्या 8-लेजि./2021.**— पंजाब राज्य की विधानमंडल द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम को 26 मार्च, 2021 को पंजाब के राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसे सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

**पंजाब आबादी देह (अधिकार अभिलेख) अधिनियम, 2021**

(पंजाब अधिनियम संख्या 8 सन् 2021)

अधिनियम

राजस्व संपदाओं में स्थित आबादी देह क्षेत्र के स्वामित्व अधिकारों के अभिलेखन और समाधान के लिए तथा उससे संबद्ध संसवत या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम है।

जहां, पंजाब में आबादी देह क्षेत्र में स्वामित्व अधिकारों का अभिलेखन, अभिलेखों की तैयारी अथवा सर्वेक्षण कर सीमाओं का चिह्नांकन नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप वर्षों से आवासीय और अन्य क्षेत्रों में सीमाओं के निर्धारण तथा अधिकारों की पहचान को लेकर विवाद उत्पन्न होते रहे हैं; साथ ही अधिकारों के प्रभावी अंतरण में कठिनाइयाँ भी उत्पन्न हुई हैं;

जहां, इस अधिनियम का उद्देश्य आबादी देह के भीतर स्वामित्व रखने वाले व्यक्तियों के विद्यमान अधिकारों की पहचान करना, उनका अभिलेखन करना और उनका समाधान करना है, जिसके अधीन यह विहित किया जाएगा कि किस व्यक्ति/व्यक्तियों को स्वामी के रूप में अभिलेखित किया जाना उचित है; इसके अतिरिक्त, प्रत्येक सर्वे इकाई की सीमाओं और क्षेत्रों का सीमांकन और रेखांकन किया जाएगा। इसका उद्देश्य तैयार किए गए अभिलेखों में सत्यता की उपधारणा स्थापित करना है;

जहां, इस प्रकार के अभिलेखों की तैयारी से आबादी देह का ऐसा विकास संभव होगा, जिससे यथासंभव गाँव की विरासत का संरक्षण किया जा सके, गाँवों में नागरिक सेवाओं और पर्यावरण की व्यवस्था तथा उन्नयन किया जा सके, उन्हें नियोजित शहरी विकास के साथ एकीकृत किया जा सके, ले-आउट में सुधार कर भूमि के मूल्य में वृद्धि की जा सके तथा गाँवों के लिए विकास मानकों की एक सरल और सुगम रूपरेखा प्रदान की जा सके।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में पंजाब राज्य की विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

## अध्याय 1

### प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब आबादी देह (अधिकार अभिलेख) अधिनियम, 2021 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण पंजाब राज्य पर होगा।

(3) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा:

परंतु यह कि नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आने वाले आबादी देह क्षेत्र के लिए यह उस दिनांक से लागू होगा, जो इस निमित्त अधिसूचित किया जाए।

परिभाषाएं 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “आबादी देह” से ऐसा स्थल अभिप्रेत है, जिसे राजस्व अधिनियम के अधीन तैयार और अनुरक्षित अधिकार अभिलेख में इस रूप में अभिलेखित किया गया हो, जो भूमि राजस्व के निर्धारण के अधीन न हो और इसमें नगरपालिका क्षेत्र में स्थित ऐसी भूमि भी सम्मिलित है;

(ख) “नियत दिवस” से जनवरी, 2021 का प्रथम दिवस अभिप्रेत है;

(ग) “सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी” से राजस्व अधिनियम के अधीन नायब-तहसीलदार के पद से अन्यून कोई राजस्व अधिकारी अथवा इस अधिनियम के अधीन कार्यो के निष्पादन हेतु अधिसूचित नगरपालिका निकाय का कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है;

- (घ) "मुख्य अभिलेखन और समाधान अधिकारी" से राजस्व अधिनियम के अधीन जिले का कलेक्टर अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के अधीन कार्यों के निष्पादन हेतु अधिसूचित किया गया हो;
- (ङ) "आयुक्त" से राजस्व अधिनियम के अधीन संभाग का आयुक्त अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के अधीन कार्यों के निष्पादन हेतु अधिसूचित किया गया हो;
- (च) "सामान्य क्षेत्र" से आबादी देह के भीतर का कोई ऐसा क्षेत्र या भवन अभिप्रेत है जिसका प्रयोग समुदाय की किसी भी सामान्य अपेक्षा, सुविधा या फायदे के लिए किया जाता है और इसमें सड़कें, रास्ते, गलियाँ, पब्लिक पार्क, नालियाँ, पब्लिक टॉयलेट, तालाब और टैंक, कुएँ, पानी के रास्ते, खेल के मैदान, बस स्टैंड या प्रतीक्षा करने के स्थान, पब्लिक मीटिंग और एकत्रित होने के लिए प्रयुक्त होने वाले स्थान या निवासियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले ऐसे किसी भी दूसरे उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होने वाली जगहें, और कोई भी खाली जगह या प्लॉट सम्मिलित है जिसका स्वामी कोई व्यक्ति नहीं है; लेकिन इसमें कोई ऐसा भवन या क्षेत्र सम्मिलित नहीं है जिसमें केंद्रीय या राज्य सरकार के नियंत्रण में कोई संस्थान हो;
- (छ) "वित्तीय आयुक्त" से सरकार में राजस्व के वित्तीय आयुक्त से अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के अधीन कार्यों के निष्पादन हेतु अधिसूचित किया गया हो;
- (ज) "सरकार" से राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन विभाग में पंजाब सरकार से अभिप्रेत है;
- (झ) "नगर निकाय" से पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 (पंजाब अधिनियम संख्या 42 सन् 1976) या पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 (पंजाब अधिनियम संख्या 3 सन् 1911) के अधीन गठित कोई निकाय अभिप्रेत है;
- (ञ) "अधिसूचना या अधिसूचित" से सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;
- (ट) "पंचायत" से पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का पंजाब अधिनियम संख्या 9) के अधीन गठित ग्राम पंचायत अभिप्रेत है;
- (ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ड) "स्वामित्व अधिकार" से किसी व्यक्ति, पंचायत, नगर निकाय, केन्द्रीय या राज्य सरकार, विधिक व्यक्ति या किसी अन्य इकाई के नाम पर अभिलेखित स्वामित्व का अधिकार अभिप्रेत है; किंतु इसमें किसी किरायेदार, पट्टेदार, बंधकधारी या किसी अन्य ऐसे अधिकार सम्मिलित नहीं होंगे, जो स्वामित्व प्रदान नहीं करते हों;

- (ढ) "अभिलेखन और समाधान अधिकारी" से उप-मंडल दंडाधिकारी के पद से अन्यून कोई राजस्व अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के अधीन कार्यों के निष्पादन हेतु अधिसूचित किया गया हो;
- (ण) "राजस्व अधिनियम" से पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम संख्या 17) अभिप्रेत है;
- (त) "राजस्व अधिकारी" से ऐसा राजस्व अधिकारी अभिप्रेत है, जो राजस्व अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करता हो;
- (थ) "सर्वेक्षण अधिकारी" से सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन कार्य करने और कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;
- (द) "सर्वेक्षण इकाई" से आबादी देह के भीतर ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के अधीन कोई सर्वेक्षण संख्या समनुदेशित (assigned) की गई है;
- (ध) "ग्राम समिति" से सहायक अभिलेख और समाधान अधिकारी द्वारा, यथास्थिति, गाँव या नगरपालिका क्षेत्र में नाम विनिर्दिष्ट ऐसी समिति अभिप्रेत है, जिसका गठन आबादी देह के भीतर सर्वेक्षण इकाइयों के स्वामित्व और सामान्य प्रयोजनों के लिए अलग रखे गए सामान्य क्षेत्रों की पहचान करने के लिए यथा विहित किया गया है; और
- (न) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके राजस्व अधिनियम में हैं।

## अध्याय 2

### अधिकारी और शक्तियां

- अधिकारी 3. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित अधिसूचित अधिकारी होंगे, अर्थात्:-
- (क) वित्तीय आयुक्त
- (ख) आयुक्त
- (ग) मुख्य अभिलेख और समाधान अधिकारी
- (घ) अभिलेख और समाधान अधिकारी
- (ङ) सहायक अभिलेख और समाधान अधिकारी और
- (च) सर्वेक्षण अधिकारी।
- (2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उप-धारा (1) के खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) में उल्लिखित अधिकारियों के पास, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों

के लिए, निम्नलिखित मामलों के संबंध में वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन एक सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:-

- (i) किसी भी व्यक्ति को समन करना और उसकी उपस्थिति को बाध्य करना और उसकी जांच करना;
- (ii) दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा करना;
- (iii) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;
- (iv) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और धारा 124 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी भी लोक अभिलेख या दस्तावेज अथवा ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति को किसी भी कार्यालय से अधिग्रहित करना; तथा
- (v) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए आयोग जारी करना।

अधिकारियों  
का अधीक्षण और  
नियंत्रण

4. (1) इस अधिनियम के अधीन अपने प्रशासनिक कार्यों में संलग्न सभी अधिकारियों पर अधीक्षण और नियंत्रण वित्तीय आयुक्त में निहित होगा, और ऐसे सभी अधिकारी उसके अधीनस्थ होंगे।
- (2) वित्तीय आयुक्त के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मुख्य अभिलेखन और समाधान अधिकारी अपने जिले में इस अधिनियम के अधीन कार्यरत सभी अन्य अधिकारियों पर नियंत्रण करेगा।
- (3) पूर्वोक्त तथा मुख्य अभिलेखन और समाधान अधिकारी के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, अभिलेखन और समाधान अधिकारी अपने उप-मंडल में इस अधिनियम के अधीन कार्यरत सभी अन्य अधिकारियों पर नियंत्रण करेगा।

### अध्याय 3

#### सर्वेक्षण, मानचित्रण और पहचान

आबादी देह  
क्षेत्र कि पहचान

5. सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी जिले, जिले के उप-मंडल, नगरपालिका क्षेत्र या गाँव में स्थित किसी भी *आबादी देह* को प्रत्येक सर्वेक्षण इकाई में अधिकारों की पहचान, अभिलेखन और समाधान के प्रयोजन हेतु क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

सर्वेक्षण और  
मानचित्रण

6. (1) सरकार, धारा 5 के अधीन अधिसूचित प्रत्येक क्षेत्र के लिए, विहित रीति से सर्वेक्षण करने हेतु एक सर्वेक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी।
- (2) सरकार, जिन क्षेत्रों के संबंध में *आबादी देह* के भीतर अधिकारों का स्थायी अभिलेख तैयार किया जाना है, उन क्षेत्रों को अधिसूचित

करने पर, स्वयं या किसी अधिसूचित अभिकरण के माध्यम से ऐसे क्षेत्र का सर्वेक्षण और मानचित्रण कराएगी, ताकि *आबादी देह* की सीमा का निर्धारण किया जा सके, प्रत्येक सर्वेक्षण इकाई का क्षेत्रफल और आयाम परिभाषित किए जा सकें, तथा प्रत्येक ऐसी इकाई को एक विशिष्ट सर्वेक्षण संख्या आवंटित की जा सके।

- (3) क्षेत्र के तैयार किए गए सर्वेक्षण रिपोर्ट और मानचित्र, सर्वेक्षण इकाइयों में अधिकारों के स्थायी अभिलेख की तैयारी के प्रयोजन हेतु सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे।

#### अध्याय 4

##### अधिकारों का स्थायी अभिलेख तथा उसका निर्माण

- |  |        |  |
|--|--------|--|
| अधिकारों का स्थाई अभिलेख                   | 7.     | प्रत्येक आबादी देह क्षेत्र के लिए अधिकारों का एक स्थायी अभिलेख होगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-   |
|  | (i)    | इस अध्याय के अधीन तैयार की गई प्रत्येक सर्वेक्षण इकाई के स्वामित्व अधिकारों का अभिलेख;   |
|  | (ii)   | अध्याय 3 के अधीन आयामों सहित तैयार की गई सर्वेक्षण रिपोर्ट और मानचित्र;  |
|  | (iii)  | ग्राम समिति की बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख; तथा  |
|  | (iv)   | ऐसा कोई अन्य दस्तावेज़, जो कि विहित या अधिसूचित किया जाए।  |
| सहायक अभिलेख और समाधान अधिकारी द्वारा जांच | 8. (1) | सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी, ऐसे पद पर नामनिर्दिष्ट किए जाने पर, सर्वेक्षण इकाइयों में भूस्वामियों के स्वामित्व अधिकारों की पहचान के लिए एक ग्राम समिति का गठन करेगा।  |
|  | (2)    | सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी, उस आबादी देह के संबंध में, जिसके अधिकारों का स्थायी अभिलेख तैयार किया जाना है, विहित रीति से, क्षेत्र के निवासियों को प्रत्येक सर्वेक्षण इकाई के लिए ऐसा अभिलेख तैयार करने के प्रस्ताव के बारे में सूचित करेगा। |
| अधिकारों का स्थाई अभिलेख तैयार करना        | 9. (1) | सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी, ग्राम समिति के साथ विचार-विमर्श और परामर्श के पश्चात् तथा संबंधित पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, सार रूप में और यथा विहित, नियत दिनांक को, अधिकारों के स्थायी अभिलेख में भूस्वामियों और उनके स्वामित्व          |

अधिकारों की प्रस्तावित प्रविष्टियाँ तथा सर्वेक्षण इकाई की सीमाओं का अभिलेखन करेगा।

(2) भूस्वामी तथा उसके या उसकी स्वामित्व अधिकारों की प्रविष्टि सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा निम्नलिखित के नाम अभिलेखित की जाएगी:—

(i) निर्मित आवासीय भवनों और आवासीय क्षेत्रों के स्वामी के नाम, जिनमें खुले या बंद आंगन, अन्य रिक्त भूमि और भू-खंड, जो सामान्य क्षेत्र न हों, दुकानें तथा अन्य स्थापन सम्मिलित हैं;

(ii) सामान्य क्षेत्र, किसी व्यक्ति के स्वामित्व में न होने वाली रिक्त भूमि या भू-खंड के लिए पंचायत और नगरपालिका निकाय के नाम; तथा

(iii) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, विधिक व्यक्ति या कोई अन्य इकाई, उसके स्वामित्व वाली भूमि या संस्थानों के संबंध में।

(3) उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के अधीन किए जा रहे कार्य के दौरान, यदि कोई सर्वेक्षण इकाई उप-विभाजित पाई जाती है, जो सर्वेक्षण अधिकारी के ध्यान से बच गई हो, तो सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी प्रत्येक ऐसी सर्वेक्षण इकाई को एक विशिष्ट संख्या आवंटित करेगा।

अभिलेख का प्रदर्शन 10. धारा 6 के अधीन सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा तैयार किया गया सर्वेक्षण मानचित्र तथा धारा 9 के अधीन किसी सर्वेक्षण इकाई में भूस्वामियों की प्रविष्टियों का अभिलेख, गाँव में किसी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा और उसकी एक प्रति, यथा स्थिति हो, विहित रीति से, गाँव के सरपंच के माध्यम से पंचायत को अथवा नगरपालिका निकाय के मुख्य कार्यपालक को उपलब्ध कराई जाएगी।

आक्षेप किया जाना और विनिश्चय 11. (1) सर्वेक्षण अभिलेख में किसी सीमा के परिसीमन से, अथवा किसी सर्वेक्षण इकाई में अधिकारों के स्थायी अभिलेख में स्वामित्व अधिकारों से संबंधित किसी प्रविष्टि से व्यथित कोई व्यक्ति, धारा 10 के अधीन अभिलेख के प्रदर्शन की दिनांक से नब्बे दिनों के भीतर, उसकी शुद्धता के संबंध में सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी के समक्ष आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी, पक्षकारों को सुनने तथा अभिलेख का, यदि कोई हो, अवलोकन करने के पश्चात्, सर्वेक्षण मानचित्र में सीमाओं का आवश्यक सुधार करेगा, और सर्वेक्षण इकाई में भूस्वामी के रूप में अभिलेखित किए जाने के लिए सर्वाधिक हकदार व्यक्ति का निर्धारण करेगा, तथा उप-धारा (1) के अधीन

अवधि की समाप्ति से साठ दिनों के भीतर, कारणों को अभिलेखित करते हुए, इस संबंध में आदेश पारित करेगा।

स्पष्टीकरण – किसी सर्वेक्षण इकाई में किसी व्यक्ति के स्वामित्व अधिकारों का अभिलेखन, स्वामित्व का निर्णायक प्रमाण नहीं होगा और इस अधिनियम के अधीन अपील या पुनरीक्षण में सुधार और परिवर्तन के अधीन रहेगा, तथा सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के निर्णय और आदेश द्वारा विहित अधिकारों के भी अधीन रहेगा।

- (3) धारा 9 के अधीन अधिकारों के स्थायी अभिलेख में की गई कोई प्रविष्टि, यदि उप-धारा (1) के अधीन प्रदान की गई अवधि के भीतर कोई आपत्ति दायर नहीं की जाती है, तो अंतिम मानी जाएगी।
- (4) सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी तत्पश्चात्, विहित रीति से, अभिलेख को अंतिम रूप में प्रकाशित करेगा, जिसमें उप-धारा (2) के अधीन पारित कोई आदेश सम्मिलित होगा।
- (5) सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिए गए अधिकारों के स्थायी अभिलेख में, यदि उप-धारा (4) के अधीन पारित कोई आदेश अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन में उपास्त, उपांतरित या परिवर्तित कर दिया जाता है, तो तदनुसार उपांतरण या परिवर्तन किया जाएगा।

#### अध्याय 5

#### अपील, पुनरावलोकन और पुनरीक्षण

- |      |     |   |
|------|-----|---|
| अपील | 12. | <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा धारा 11 के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश के पारित होने की दिनांक से तीस दिनों के भीतर, अभिलेखन और समाधान अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा।</li> <li>(2) अभिलेखन और समाधान अधिकारी, संबंधित और संभावित रूप से प्रभावित पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, कारणयुक्त आदेश पारित करते हुए, अपील को स्वीकार करेगा या निरस्त करेगा।</li> <li>(3) अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा उप-धारा (2) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश के पारित होने की दिनांक से तीस दिनों के भीतर, मुख्य अभिलेखन और समाधान अधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा, जो संबंधित और संभावित रूप से प्रभावित पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, कारणयुक्त आदेश पारित करते हुए, अपील को स्वीकार करेगा या निरस्त करेगा।</li> <li>(4) उप-धाराओं (2) और (3) के अधीन अपीलों का निर्णय, यथास्थिति, अभिलेखन और समाधान अधिकारी अथवा मुख्य अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा, नोटिस के पश्चात् प्रतिवादी की उपस्थिति दर्ज होने की दिनांक से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा, या यदि</li> </ol> |
|------|-----|---|

प्रतिवादी के विरुद्ध एकतरफा (ex-parte) कार्यवाही की जाती है, तो भी, जब तक कि लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए अन्यथा निदेश न दिया गया हो।

(5) कोई अपीलवादी प्राधिकारी किसी मामले को पुनः विचारार्थ वापस नहीं भेजेगा, सिवाय इसके कि अभिलेख से यह स्थापित हो जाए कि किसी आवश्यक पक्षकार, जिसे विधिवत् तामील नहीं की गई थी, के विरुद्ध प्रतिकूल आदेश पारित किया गया है।

पुनरावलोकन

13. सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी, अभिलेखन और समाधान अधिकारी तथा मुख्य अभिलेखन और समाधान अधिकारी, जिस आदेश का पुनर्विलोकन किया जाना है, उसके पारित होने की दिनांक से साठ दिनों के भीतर, स्वप्रेरणा से अथवा किसी हितधारक पक्ष के आवेदन पर, संभावित रूप से प्रभावित पक्ष को नोटिस देकर तथा उसे युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, पुनर्विलोकन कर सकते हैं और ऐसे पुनर्विलोकन में, अपने द्वारा अथवा अपने पदस्थ पूर्ववर्ती द्वारा पारित किसी आदेश को पुनरावलोकित, उपांतरित, परिवर्तित या पुष्ट कर सकते हैं:  
बशर्ते कि -

- (i) जब सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी किसी आदेश के पुनर्विलोकन को आवश्यक समझता है, तो वह सर्वप्रथम अभिलेखन और समाधान अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करेगा;
- (ii) जब अभिलेखन और समाधान अधिकारी किसी आदेश के पुनर्विलोकन को आवश्यक समझता है, तो वह सर्वप्रथम मुख्य अभिलेखन और समाधान अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करेगा;
- (iii) जब मुख्य अभिलेखन और समाधान अधिकारी किसी आदेश के पुनर्विलोकन को आवश्यक समझता है, तो वह सर्वप्रथम आयुक्त की स्वीकृति प्राप्त करेगा;
- (iv) जब ऐसा कोई आदेश सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी या अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन में उपांतरित या परिवर्तित कर दिया जाता है, तो सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अभिलेखन और समाधान अधिकारी के समक्ष तथा अभिलेखन और समाधान अधिकारी के आदेश के विरुद्ध मुख्य अभिलेखन और समाधान अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाएगी, और ऐसी अपील पर पारित आदेश अंतिम होगा;
- (v) जिस आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है, उसका पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा; तथा

- (vi) किसी पूर्व आदेश के पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान करने या पुनर्विलोकन में उसकी पुष्टि करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जाएगी।
- आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण 14. आयुक्त, किसी व्यथित पक्ष के आवेदन पर, किसी आदेश के पारित होने की दिनांक से साठ दिनों के भीतर, इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश या की गई कार्यवाही से संबंधित अभिलेख मंगा सकेगा और उनकी जांच कर सकेगा, ताकि वह ऐसे आदेश या कार्यवाही की विधिमान्यता या औचित्य के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर सके, तथा प्रभावित पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, वह उचित समझे अनुसार उससे संबंधित कोई आदेश पारित कर सकेगा और इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश को संशोधित, परिवर्तित या पुष्ट कर सकेगा।
- न्यायालय की डिक्री या आदेश 15. इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश, सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले किसी डिक्री या आदेश के अधीन रहेगा।

### अध्याय 6

#### अभिलेख का अंतरण

- जिला कलेक्टर को अभिलेख का अंतरण 16. आबादी देह क्षेत्र के अधिकारों के स्थायी अभिलेख की तैयारी और अंतिमीकरण के पश्चात्, उसे सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और राजस्व अधिनियम के अधीन उसके संधारण और पुनरीक्षण के लिए जिला कलेक्टर को अंतरित किया जाएगा।
17. धारा 16 के अधीन अभिलेख के अंतरण के पश्चात्, राजस्व अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंध ऐसे अभिलेख पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

### अध्याय 7

#### विभाजन

- सर्वेक्षण इकाइयों का विभाजन 18. आबादी देह में सम्मिलित सर्वेक्षण इकाइयों का विभाजन, अधिकारों के स्थायी अभिलेख के अंतरण के पश्चात्, राजस्व अधिकारी द्वारा केवल तभी अनुमत किया जा सकेगा, जब प्रस्तावित विभाजन को दर्शाने वाला मानचित्र, स्वामित्व अधिकार रखने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित हो और सभी संबंधित पक्षकारों द्वारा उसकी पुष्टि की गई हो: परंतु यह कि राजस्व अधिकारी, सर्वेक्षण इकाई के सह-भूस्वामियों तथा अन्य व्यक्तियों की जाँच करने के पश्चात्, यदि यह राय रखता हो है कि सर्वेक्षण इकाई अविभाज्य है या विभाजन अव्यावहारिक है और विभाजन न किए जाने के लिए पर्याप्त कारण हैं, तो वह अपने अस्वीकार के आधारों को अभिलेखित करते हुए सर्वेक्षण इकाई के विभाजन से इंकार कर सकेगा।
- विभाजन के संबंध में विवाद 19. विवाद की स्थिति में किसी सर्वेक्षण इकाई के विभाजन हेतु आवेदन राजस्व अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा और व्यथित पक्ष विभाजन के लिए सिविल न्यायालय की शरण ले सकेगा।

## अध्याय 8

## प्रकीर्ण

- समन किया जाना 20. (1) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा जारी किया गया समन निम्नलिखित प्रकार से तामील किया जाएगा—
- (i) व्यक्तिगत रूप से, उस व्यक्ति पर जिसे वह संबोधित है, अथवा उसके न मिलने की स्थिति में;
- (ii) उसके मान्यता-प्राप्त अभिकर्ता पर; अथवा
- (iii) उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य पर, जो सामान्यतः उसके साथ निवास करता हो।
- (2) समन की एक प्रति, उस व्यक्ति के सामान्य या अंतिम ज्ञात निवास-स्थान पर चिपका कर भी तामील की जा सकेगी, जिसे वह संबोधित है।
- (3) यदि इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी ऐसा निदेश देता है, तो समन में नामनिर्दिष्ट व्यक्ति पर, सेवा के किसी अन्य तरीके के अतिरिक्त या उसके स्थान पर, उस व्यक्ति को संबोधित पत्र द्वारा डाक से समन प्रेषित कर के, जिसे भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का केंद्रीय अधिनियम 6) के अध्याय 6 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, अथवा इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित किसी प्रतिष्ठित कूरियर अभिकरण के माध्यम से भेज कर, समन की सेवा की जा सकेगी।
- (4) जब समन इस प्रकार पत्र द्वारा प्रेषित किया जाता है, और यह सिद्ध हो जाता है कि पत्र को विधिवत संबोधित किया गया था तथा उसे सही रूप से डाक में डाला गया और रजिस्ट्रीकृत किया गया था, तो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी यह उपधारणा कर सकेगा कि समन उस समय तामील हो गया था, जब उसकी परिदान की रसीद प्राप्त होती है:
- परंतु यह कि यदि रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र के मामले में, यदि वह तीस दिनों की अवधि के भीतर बिना वितरित हुए वापस प्राप्त नहीं होता है, तो उसके परिदान का अनुमान तीस दिनों के पश्चात् लगाया जा सकेगा।
- (5) समन में नामनिर्दिष्ट व्यक्ति पर, उसकी विषय-वस्तु को व्यापक प्रसार वाले किसी दैनिक पंजाबी समाचार-पत्र में प्रकाशित करके भी, समन की सेवा की जा सकेगी :

परंतु यह कि यदि समन ऐसे मामले से संबंधित है, जिसमें समान हित रखने वाले व्यक्तियों की संख्या इतनी अधिक है कि उन सभी को व्यक्तिगत रूप से समन की प्रतियां पहुंचाना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है, तो प्रथम दृष्टया और यदि इस अधिनियम के अधीन

नियुक्त अधिकारी ऐसा निदेश देता है, तो उन व्यक्तियों में से ऐसे कुछ व्यक्तियों को, जिन्हें इस प्रयोजन के लिए नियुक्त अधिकारी नामनिर्दिष्ट करता है, समन की एक प्रति की डिलीवरी द्वारा सेवा की जा सकेगी, और अन्य संबंधित व्यक्तियों की जानकारी के लिए, उसकी विषय-वस्तु को व्यापक प्रसार वाले किसी दैनिक पंजाबी समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जा सकेगा।

- (6) समन की सेवा, लघु संदेश सेवा (एसएमएस), ई-मेल, अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा भी की जा सकेगी, उस दूरभाष संख्या या ई-मेल पते पर, जो अन्यथा ज्ञात हो या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी को ज्ञात कराया गया हो:

परंतु यह कि यदि उपर्युक्त में से किसी भी माध्यम द्वारा सेवा की जाती है, तो समन की डिलीवरी का प्रिंटआउट अभिलेख पर रखा जाएगा।

- (7) इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जारी की गई कोई सूचना, उद्घोषणा का आदेश या ऐसे किसी दस्तावेज़ की प्रति, समन की सेवा के लिए इस धारा में विनिर्दिष्ट रीति से ही तामील की जाएगी।
- (8) उप-धाराओं (2), (3), (5) या (6) में उपबंधित सेवा के किसी भी तरीके को, उप-धारा (1) में उपबंधित सेवा के तरीके के अतिरिक्त, एक साथ अपनाया जा सकेगा।

अधिकारों के स्थाई अभिलेख में प्रविष्टियों के पक्ष में उपधारणा

21. इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अधिकारों के स्थायी अभिलेख में की गई कोई भी प्रविष्टि, तब तक सत्य मानी जाएगी जब तक कि उसका विपरीत सिद्ध न कर दिया जाए या उसके स्थान पर विधिपूर्वक कोई नई प्रविष्टि न कर दी जाए।

अभिलेख की प्रविष्टि से व्यथित व्यक्ति द्वारा घोषणात्मक डिक्री के लिए वाद

22. यदि कोई व्यक्ति अधिकारों के स्थायी अभिलेख में की गई किसी प्रविष्टि के आधार पर अपने कब्जे में किसी अधिकार के संबंध में स्वयं को व्यथित समझता है, तो वह विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (1963 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 47) के अध्याय 6 के अधीन अपने अधिकार की घोषणा के लिए वाद संस्थित कर सकेगा।

लिपिकीय त्रुटियों का संशोधन

23. इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश में लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटियों को, संबंधित प्राधिकारी द्वारा, किसी भी समय, स्वप्रेरणा से अथवा किसी भी पक्षकार के आवेदन पर, सुधारा जा सकेगा और ऐसे संशोधन की सूचना पक्षकारों को बिना किसी शुल्क के तथा उसके क्रियान्वयन के लिए संबंधित अधिकारी को भी दी जाएगी।

सद्भावनापूर्वक किये गए कार्य के लिए संरक्षण

24. इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी या ऐसे अधिकारी के निदेशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अधिकारी के विरुद्ध, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों के अधीन सद्भावना में किए गए या किए जाने के आशय से किए गए किसी कार्य के लिए, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलेगी।

- कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
25. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल न होने वाले ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो उसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:
- परंतु यह कि इस अधिनियम के प्रारंभ की दिनांक से दो वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।
- (2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र, उसके किए जाने के पश्चात्, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।
- सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का अपवर्जन
26. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, कोई भी सिविल न्यायालय ऐसे किसी वाद या आवेदन पर विचार नहीं करेगा जो किसी ऐसे मामले में विनिश्चय या आदेश पाने के लिए दायर किया गया हो, जिसे सरकार या कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन तय करने या निपटाने के लिए प्राधिकृत है।
- सर्वेक्षण और परिसीमन के प्रयोजनों के लिए भूमि, निवास और आवासीय क्षेत्रों, सर्वेक्षण इकाईयों में प्रवेश करने की अधिकारियों की शक्ति
27. इस अधिनियम के अधीन अधिकारी तथा उनके आदेशों के अधीन कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन किसी कर्तव्य के निर्वहन में, विहित रीति से भूमि में प्रवेश कर सकेगा और उसका सर्वेक्षण कर सकेगा, उस पर सर्वेक्षण चिह्न स्थापित कर सकेगा और सीमाओं का परिसीमन कर सकेगा तथा उस कर्तव्य के समुचित निष्पादन के लिए आवश्यक ऐसे सभी अन्य कार्य कर सकेगा।
- सर्वेक्षण चिन्हों और परिसीमन को नष्ट करने, खोलने या हटाने के लिए शास्ति
28. (1) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर विधिपूर्वक स्थापित या लगाए गए किसी सर्वेक्षण या परिसीमन चिह्न को नष्ट करता है, खोलता है या विधिपूर्ण अधिकार के बिना हटाता है, तो अभिलेखन और समाधान अधिकारी उसे प्रत्येक ऐसे नष्ट, उखाड़े या हटाए गए चिह्न के लिए एक हजार रुपये से अनधिक ऐसा जुर्माना संदत्त करने का आदेश दे सकेगा, जो कि उस अधिकारी की राय में उसी की पुनर्स्थापना के व्यय की पूर्ति तथा, यदि कोई हो, नष्ट, खोलने या हटाने की सूचना देने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत करने के लिए आवश्यक हो।
- (2) उप-धारा (1) के अधीन अधिरोपित जुर्माने की रकम, यदि विहित रीति से अदा नहीं की जाती है, तो वह राजस्व अधिनियम के अधीन भूमि राजस्व की बकाया रकम के रूप में वसूल की जाएगी।
- (3) इस धारा के अधीन जुर्माना अधिरोपित किया जाना, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 434 के अधीन अभियोजन, अथवा समय-समय पर प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपराधी के अभियोजन पर रोक नहीं लगाएगा।

सरकार की नियम बनाने की शक्ति

29. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात्:-
- (क) ग्राम समिति की संरचना तथा उसके सदस्य;
- (ख) इस अधिनियम के आशय और उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए इसके अधीन अधिकारियों की नियुक्ति या नामांकन;
- (ग) अधिकारों के स्थायी अभिलेख में सम्मिलित किए जाने वाले दस्तावेज़;
- (घ) अधिकारों के स्थायी अभिलेख को तैयार करने, प्रदर्शित करने और प्रकाशित करने की रीति;
- (ङ) इस अधिनियम के अधीन तैयार किए गए अधिकारों के स्थायी अभिलेखों को राजस्व अधिनियम के अधीन राजस्व प्राधिकारियों को अंतरण करने की प्रक्रिया;
- (च) अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा जानबूझकर नष्ट करने, खोलने या विधिपूर्ण प्राधिकारी के बिना किसी सर्वेक्षण परिसीमन चिह्न को हटाने पर अधिरोपित किए गए जुर्माने के अधिरोपण तथा जमा करने की प्रक्रिया;
- (छ) इस अधिनियम के अधीन समन की सेवा, प्रदर्शन, प्रकाशन, अभिलेखों की तैयारी तथा उनका संधारण करने के प्ररूप;
- (ज) सभी या किसी सर्वेक्षण इकाई की सीमाओं के परिसीमन की रीति तथा उस पर स्थापित किए जाने वाले सर्वेक्षण चिह्न;
- (झ) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन तैयार और अनुरक्षित अभिलेख, आदेश तथा दस्तावेज़ों की प्रतियाँ और प्रमाणित प्रतियाँ, जिनमें अभिलेखों की डिजिटाइज्ड प्रतियाँ भी सम्मिलित हैं, जारी करने के लिए;

- (ज) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए कोई अन्य विषय, अथवा जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाए।

एस.के. अग्रवाल,  
पंजाब सरकार के सचिव,  
विधि और विधायी कार्य विभाग।

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2026

**S.O. 2263(E).**— In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends the Punjab Abadi Deh (Record of Rights) Act, 2021 (Punjab Act No. 8 of 2021), as in force in the State of Punjab, to the Union territory of Chandigarh from the date of this notification published in the Official Gazette, subject to the following modifications, namely: -

- (1) This Act may be called the Punjab Abadi Deh (Record of Rights) Act, 2021 (Extension to Chandigarh) Act, 2026.  
(2) In the Punjab Abadi Deh (Record of Rights) Act, 2021 so extended to the Union Territory of Chandigarh (hereinafter referred to as the said Act), save as otherwise expressly provided hereunder: -

- (i) for the words "State", "Punjab", "State of Punjab", "whole of the State of Punjab" wherever they occur, the words "Union Territory of Chandigarh" shall be substituted;  
(ii) for the words "State Government", "Government", "Government of Punjab" wherever they occur, the words "Administrator" shall be substituted;  
(iii) for the words "Punjab Municipal Corporation Act, 1976 (Punjab Act No. 42 of 1976) or the Punjab Municipal Act, 1911 (Punjab Act No. 3 of 1911)", wherever they occur, the words "Punjab Municipal Corporation Law (Extension to Chandigarh) Act, 1994 (Act No. 45 of 1994)" shall be substituted;  
(iv) for the words "village Committee" wherever they occur, the words "Local Committee" shall be substituted;

(3) In the said Act,—

- (i) in section 1, after sub-section (3), proviso shall be omitted;  
(ii) in section 2,—  
(a) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—  
"(aa) "Administrator" means the Administrator of the Union Territory of Chandigarh appointed by the President under article 239 of the Constitution";  
(b) in clause (b), for the words and figures "January, 2021", the words and figures "April, 2025" shall be substituted;  
(c) in clause (f), the words "or State" shall be omitted;  
(d) in clause (h), for the words "Government of Punjab in the Department of Revenue, Rehabilitation and Disaster Management", the words "Administrator" shall be substituted;  
(e) in clause (k), after the bracket, words and figures "(Punjab Act No. 9 of 1994)", the words "as extended to Union Territory of Chandigarh" shall be inserted;  
(f) in clause (m), the words "or State" shall be omitted;  
(g) in clause (o), after the bracket, words and figures "(Punjab Act No. XVII of 1887)", the words "as extended to Union Territory of Chandigarh by the Punjab Reorganisation (Chandigarh) (Adaptation of Laws on State and Concurrent Subjects) Order 1968" be inserted;

- (iii) in section 3, in sub-section (2), in clause(iv), for the words and figures "123 and 124 of the Indian Evidence Act, 1872", the words and figures "129 and 130 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023" shall be substituted;
- (iv) in section 5, for the words "in a district, sub-division of a district, municipal area or a village", the words "municipal limits of Chandigarh" shall be substituted;
- (v) in section 9, in sub-section (2), in clause (ii), the words "the panchayat and" shall be omitted;
- (vi) in section 10, the words "Panchayat through the Sarpanch of the village or" and "as the case may be" shall be omitted;
- (vii) in section 12, in sub-section (3), after the words "under sub-section (2)", the words "or under section 28" shall be inserted;
- (viii) section 18 shall be omitted;
- (ix) section 19 shall be omitted;
- (x) in section 20, in sub-section (5), the word "Punjabi" wherever occurs, shall be omitted;
- (xi) in section 25, in sub-section (2), for the words "State Legislature", the words "each House of Parliament" shall be substituted;
- (xii) in section 28,—
  - (a) in sub-section (1), for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted;
  - (b) in sub-section (2), for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted;
  - (c) in sub-section (3),—
    - (i) for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted;
    - (ii) for the words and figures "434 of Indian Penal Code, 1860" (Central Act No. 45 of 1860)", the words and figures "326(e) of Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023" shall be substituted;
- (xiii) in section 29, in sub-section (2), in clause (f), for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted.

[F. No. U-11015/4/2025-UTL]

PRAVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.

## PART I

### GOVERNMENT OF PUNJAB

#### DEPARTMENT OF LEGAL AND LEGISLATIVE AFFAIRS, PUNJAB

#### NOTIFICATION

The 1st April, 2021

**No. 8-Leg./2021.**— The following Act of the Legislature of the State of Punjab received the assent of the Governor of Punjab on the 26th day of March, 2021, is hereby published for general information:—

#### THE PUNJAB ABADI DEH (RECORD OF RIGHTS) ACT, 2021

(Punjab Act No. 8 of 2021)

AN

ACT

to provide for recording and resolving of proprietary rights of abadi deh area in the revenue estates and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS, the *abadi deh* area in Punjab has remained without recording of rights of the proprietors, preparation of record, or the marking of boundaries by carrying out a survey. This has over the years resulted in disputes about demarcation of boundaries and identification of rights in the dwelling and other areas; besides causing hardship in the effective transfer of rights;

WHEREAS, the object of this Act is to identify, record and resolve the existing rights of the proprietors within the *abadi deh* by a process of ascertaining the person(s) best entitled to be

recorded as proprietor; besides, demarcating, delineating the boundaries and areas of each survey unit. It is to create a presumption of truth in the records so prepared.

WHEREAS, the preparation of this record would provide for development of the *abadi deh* that preserves the heritage of the village to the extent possible, provide and upgrade civic services and environment in villages to integrate them with planned urban development, enhance the land value by improving the lay out and provide a road map for development norms for villages in an easy and simple manner.

BE it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Seventy second year of the Republic of India, as follows: -

## CHAPTER 1

### PRELIMINARY

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Punjab Abadi deh (Record of Rights) Act, 2021.

(2) It extends to the whole of the State of Punjab.

(3) It shall come into force with immediate effect:

Provided that it shall come into effect for the *abadi deh* area falling within the limits of a municipal area on the date as may be notified in this regard.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires, -

(a) “*Abadi deh*” means the site recorded as such in the Record of Rights prepared and maintained under the Revenue Act, which is not assessed to land revenue and includes such land in a municipal area;

(b) “Appointed day” means the first day of January, 2021;

(c) “Assistant Recording and Resolution Officer” means a Revenue Officer not below the rank of Naib-Tehsildar under the Revenue Act or the Executive Officer of the municipal body notified to perform functions under this Act;

(d) “Chief Recording and Resolution Officer” means the Collector of the district under the Revenue Act, notified to perform functions under this Act;

(e) “Commissioner” means the Commissioner of the division under the Revenue Act, notified to perform functions under this Act;

(f) “Common area” means an area or building within the *abadi deh* used for any common need, convenience or benefit of the community and includes roads, paths, streets, public parks, drains, public toilets, ponds and tanks, wells, water courses, play grounds, bus stand or waiting places, places used for public sittings and gatherings or for any such other purposes used by the inhabitants, and any vacant site or plot not owned by any person; but does not include a building or area which houses an institution under the control of the Central or State Government;

(g) “Financial Commissioner” means the Financial Commissioner, Revenue in the Government notified to perform the functions under this Act;

- (h) “Government” means the Government of Punjab in the Department of Revenue, Rehabilitation and Disaster Management;
- (i) “Municipal body” means a body constituted under the Punjab Municipal Corporation Act, 1976 (Punjab Act No. 42 of 1976) or the Punjab Municipal Act, 1911 (Punjab Act No. 3 of 1911);
- (j) “Notification or notified” means a notification published by the Government in the Official Gazette;
- (k) “Panchayat” means a Gram Panchayat constituted under the Punjab Panchayati Raj Act, 1994 (Punjab Act No. 9 of 1994);
- (l) “Prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
- (m) “Proprietary right” means the right of ownership recorded in the name of a person, panchayat, municipal body, Central or State Government, juristic person or any other entity but does not include the rights of a tenant, lessee, mortgagee or any other right which does not confer ownership;
- (n) “Recording and Resolution Officer” means a revenue officer not below the rank of Sub-Divisional Magistrate notified to perform functions under this Act;
- (o) “Revenue Act” means the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act No. XVII of 1887);
- (p) “Revenue Officer” means a revenue officer exercising the powers under the Revenue Act;
- (q) “Survey Officer” means an officer appointed by the Government to act and perform functions under this Act;
- (r) “Survey unit” means the area within the *abadi deh*, to which a survey number is assigned under this Act;
- (s) “Village Committee” means the committee nominated in the village or municipal area, as the case may be, by the Assistant Recording and Resolution Officer, with its composition as prescribed to identify the ownership of survey units and common areas set apart for common purposes within the *abadi deh*; and
- (t) Words and expressions used in this Act but not defined herein, have the meanings assigned to them under the Revenue Act.

## CHAPTER II

### OFFICERS AND POWERS

Officers.

3. (1) Subject to the provisions of this Act, there shall be the following officers notified to perform the functions and exercise powers under this Act, namely: -

- (a) Financial Commissioner;
- (b) Commissioner;
- (c) Chief Recording and Resolution Officer;
- (d) Recording and Resolution Officer;
- (e) Assistant Recording and Resolution Officer; and
- (f) Survey Officer.

(2) Subject to the provision of this Act, the officers mentioned in clauses (b), (c), (d) and (e) of sub-section (1) shall have, for the purposes of discharging their functions under this Act, the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908, in respect of the following matters, namely: -

- (i) the summoning and enforcing the attendance of any person and examining him;
- (ii) requiring the discovery and production of documents;
- (iii) receiving evidence on affidavit;
- (iv) subject to the provisions of sections 123 and 124 of the Indian Evidence Act, 1872, requisitioning any public record or document or copy of such record or document from any office; and
- (v) issuing commissions for the examination of witnesses or documents.

4. (1) The superintendence and control over all officers in their administrative functioning under this Act shall vest in the Financial Commissioner, and all such officers shall be subordinate to him.

Superintendence and control of Officers.

(2) Subject to the superintendence and control of the Financial Commissioner, the Chief Recording and Resolution Officer shall control all other officers under this Act, in his district.

(3) Subject as aforesaid and to the control of the Chief Recording and Resolution Officer, the Recording and Resolution Officer shall control all other officers under this Act, in his sub-division.

### CHAPTER III

#### SURVEY, MAPPING AND IDENTIFICATION

5. The Government may, by notification, specify any *abadi deh* in a district, sub-division of a district, municipal area or a village as an area for the purpose of identifying, recording and resolving the rights in each survey unit.

Identification of *abadi deh* area.

6. (1) The Government shall appoint a Survey Officer for each area notified under section 5 to conduct a survey in the manner as may be prescribed.

Survey and mapping.

(2) The Government, upon notifying areas of which the standing record of rights within an *abadi deh* is to be prepared, shall itself or through a notified agency get a survey conducted and mapping done of such area to determine the boundary of the *abadi deh*, define the area and dimensions of each survey unit, and assign a unique survey number to each such unit.

(3) The survey reports and maps prepared of the area shall be submitted to the Assistant Recording and Resolution Officer for the purpose of preparing the standing record of rights in the survey units.

### CHAPTER IV

#### STANDING RECORD OF RIGHTS AND ITS MAKING

7. There shall be a standing record of rights for each *abadi deh* area, which shall comprise the following, namely: -

Standing record of rights

- (i) the record of proprietary rights of each survey unit prepared under this Chapter;
- (ii) the survey reports and maps prepared under Chapter III with dimensions;
- (iii) the record of proceedings of the meetings of the village committee; and
- (iv) such other document as may be prescribed or notified.

Inquiry by the Assistant Recording and Resolution Officer

8. (1) The Assistant Recording and Resolution Officer, on his being designated as such, shall constitute a village committee for identifying the proprietary rights of the proprietors in the survey units.

(2) The Assistant Recording and Resolution Officer, in respect of the *abadi deh* of which the standing record of rights is to be prepared, shall inform the inhabitants of the area, in the manner prescribed, about the proposal to prepare such record for each of the survey unit.

Preparation of standing record of rights.

9. (1) The Assistant Recording and Resolution Officer, after deliberations and consultations with the village committee and hearing the parties interested, shall, in a summary manner, and as may be prescribed, record the proposed entries of proprietors and their proprietary rights and of the boundaries of the survey unit in the standing record of rights, as on the appointed day.

(2) The entry of proprietor and his or its proprietary rights shall be recorded by the Assistant Recording and Resolution Officer in the name of –

(i) the owner of the built up dwelling and residential areas including its open or enclosed court yards, other vacant land and plots of owners not being a common area, shops and other establishments;

(ii) the panchayat and the municipal body for the common area, vacant land or plot not owned by any person; and

(iii) the Central, State Government, juristic person or other entity in respect of the land or institutions owned by it.

(3) In the conduct of exercise under sub-sections (1) and (2) if a survey unit is found to be sub-divided, which escaped the attention of the Survey Officer, the Assistant Recording and Resolution Officer shall assign a unique number to each such survey unit.

10. The survey map prepared by the Survey Officer under section 6 and the record of entries of proprietors in a survey unit prepared under section 9, shall be displayed at a conspicuous place in the village and a copy thereof supplied to the Panchayat through the Sarpanch of the village or the Chief Executive of the municipal body, as the case may be, in the manner, as may be prescribed.

Display of record.

11. (1) A person aggrieved by the demarcation of any boundary in the survey record, or an entry regarding the proprietary rights in the standing record of rights in a survey unit, may, within ninety days from the date of display of record under section 10, file objections about the correctness thereof before the Assistant Recording and Resolution Officer.

Raising of objections and decision.

(2) The Assistant Recording and Resolution Officer after hearing the parties and perusing the record, if any, shall make necessary correction of the boundaries in the survey map, and ascertain the person best entitled to be recorded as the proprietor in the survey unit, and within sixty days of the expiry of the period under sub-section (1), pass an order in this regard by recording reasons.

Explanation. - The recording of the proprietary rights of a person in a survey unit shall not be conclusive proof of ownership and shall be subject to corrections and alterations in appeal or revision under this Act as also the rights so determined by a judgment and order of a court of competent jurisdiction.

(3) An entry recorded in the standing record of rights under section 9, if no objection is filed within the period provided under sub-section (1), shall be treated as final.

(4) The Assistant Recording and Resolution Officer shall thereafter in the manner prescribed, publish the record as finalized, which shall incorporate an order that may be passed under sub-section (2).

(5) The standing record of rights finalized by the Assistant Recording and Resolution Officer shall be amended or modified in the event of an order passed under sub-section (4) is set aside, modified or reversed in appeal, review or revision.

## CHAPTER V

### APPEAL, REVIEW AND REVISION

Appeals.

12. (1) Any person aggrieved by an order passed by the Assistant Recording and Resolution Officer under section 11 may, within thirty days of the passing of such order, file an appeal before the Recording and Resolution Officer.

(2) The Recording and Resolution Officer after hearing the parties interested and likely to be affected either accept the appeal or dismiss the same by passing a reasoned order.

(3) Any person aggrieved by an order passed by the Recording and Resolution Officer under sub-section (2) may, within thirty days of the passing of such order, appeal to the Chief Recording and Resolution Officer, who shall after hearing the parties interested and likely to be affected either accept the appeal or dismiss the same by passing a reasoned order.

(4) Appeals under sub-sections (2) and (3) shall be decided by the Recording and Resolution Officer and the Chief Recording and Resolution Officer, as the case may be, within sixty days from the date the respondent puts in appearance after notice or is proceeded against *ex-parte* unless for reasons to be recorded in writing it is directed otherwise.

(5) An appellate authority shall not remand a case except where it is established from the record that an adverse order has been passed against a necessary party who was not duly served.

Review

13. The Assistant Recording and Resolution Officer, the Recording and Resolution Officer and the Chief Recording and Resolution Officer, may within sixty days of the order sought to be reviewed either on their own motion or on the application of a party interested, after notice to the party likely to be affected and giving reasonable hearing, review, and on so reviewing, modify, reverse or confirm any order passed by himself or his predecessor in office:

Provided that -

(i) when an Assistant Recording and Resolution Officer finds it necessary to review any order, he shall first obtain the sanction of the Recording and Resolution Officer;

(ii) when a Recording and Resolution Officer finds it necessary to review any order, he shall first obtain the sanction of the Chief Recording and Resolution Officer;

(iii) when a Chief Recording and Resolution Officer finds it necessary to review any order, he shall first obtain the sanction of the Commissioner;

(iv) when any such order is modified or reversed on review by the Assistant Recording and Resolution Officer, or the Recording and Resolution Officer, an appeal shall lie against the order of the Assistant Recording and Resolution Officer to the Recording and Resolution Officer, and from the order of the Recording and Resolution Officer to the Chief Recording and Resolution Officer, and the order on such appeal shall be final;

(v) an order against which an appeal or revision has been preferred shall not be reviewed; and

(vi) an appeal shall not lie from an order refusing or granting permission to review or confirming on review a previous order.

14. The Commissioner may, on an application of an aggrieved party, within sixty days of an order being passed, call for and examine the records relating to any order passed or proceedings taken under this Act for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of such order or proceedings and after hearing the affected parties, may pass such order in relation thereto as he may deem fit and modify, reverse or confirm any order passed under this Act.

Revision by  
Commissioner.

15. An order of an officer passed under this Act shall be subject to a decree or order which may be passed by a court of competent jurisdiction.

Decree or order of  
the court.

## CHAPTER VI

### TRANSFER OF RECORD

Transfer of record to the District Collector.

16. After preparation and finalization of the standing record of rights of the *abadi deh* area, it shall be attested by the Assistant Recording and Resolution Officer and transferred to the District Collector for maintaining and revising it under the Revenue Act.

Application of Chapter IV of Revenue Act.

17. The provisions of Chapter IV of the Revenue Act after transfer of the record under section 16 shall apply *mutatis mutandis* to such record.

## CHAPTER VII

### PARTITION

Partition of survey units.

18. A partition of survey units comprised in *abadi deh* may be allowed by a Revenue Officer after the standing record-of- rights has been transferred, and only if the partition has been affirmed by all interested parties with a map showing the proposed partition signed by all persons having proprietary rights:

Provided that the Revenue Officer after examining such of the coproprietors of the survey unit and other persons may, if he is of the opinion that the survey unit is impartible or the partition is impractical and there is good and sufficient cause why partition should be disallowed, refuse to partition the survey unit by recording the grounds of his refusal.

Disputes as to partition

19. An application for the partition of a survey unit, in the event of a dispute, shall not lie before the Revenue Officer and the party aggrieved may approach the civil court for partition.

## CHAPTER VIII

### MISCELLANEOUS

Summoning.

20. (1) A summons issued by an officer appointed under this Act shall be served—

- (i) personally, on the person to whom it is addressed, or failing him;
- (ii) his recognized agent; or
- (iii) an adult member of his family usually residing with him

(2) A summons may also be served by pasting a copy thereof at the usual or last known place of residence of the person to whom it is addressed.

(3) A summons may, if an officer appointed under this Act so directs, be served on the person named therein, either in addition to, or in substitution for, any other mode of service, by forwarding the summons by post in a letter addressed to the person and registered under Chapter VI of the Indian Post Office Act, 1898 (Central Act VI of 1898), or sent through a reputed courier agency notified by the Government in this regard.

(4) When a summons is so forwarded in a letter, and it is proved that the letter was properly addressed and duly posted and registered, the officer appointed under this Act may presume that the summons was served at the time when receipt of its delivery is furnished:

Provided that in case of a letter sent through registered post, its delivery may be presumed after thirty days if it is not received back undelivered within this period.

(5) A summons may also be served on the person named therein by publication of the contents thereof in a daily Punjabi newspaper having wide circulation:

Provided that if the summons relates to a case in which persons having the same interest are so numerous that personal service on all of them is not reasonably practicable, it may, in the first instance and if the officer appointed under this Act so directs, be served by delivery of a copy thereof to such of those persons as the officer appointed under this Act nominates in this behalf, and by publication of the contents thereof in a daily Punjabi newspaper having wide circulation, for the information of the other persons interested.

(6) The summons may also be served through Short Message Service, email, or through other electronic modes at the phone number or e-mail address otherwise known or made known, to the officer appointed under this Act:

Provided that if service is effected through any of the above modes, a printout of the delivery of summons shall be placed on the record.

(7) A notice, order of proclamation or copy of any such document, issued by an officer under this Act for service on any person shall be served in the manner provided in this section for the service of a summons.

(8) Any of the modes of service provided in sub-sections (2), (3), (5) or (6) may be adopted simultaneously in addition to the mode of service provided in sub-section (1).

Presumption in favour of entries in the standing record of rights

21. Any entry made in a standing record-of-rights in accordance with the provisions of this Act shall be presumed to be true until the contrary is proved or a new entry is lawfully substituted therefor.

Suit for declaratory decree by persons aggrieved by an entry in a record.	22. If any person considers himself aggrieved as to any right of which he is in possession by an entry in a standing record-of-rights, he may institute a suit for a declaration of his right under Chapter VI of the Specific Relief Act, 1963(Central Act No. 47 of 1963).	
Correction of clerical errors	23. The clerical or arithmetical mistakes in any order passed by any officer under this Act may, at any time be corrected by the authority concerned either of its own motion or on the application of any of the parties and an intimation of such correction shall be made to the parties free of any charges and also to the concerned officer for its implementation.	
Protection of action taken in good faith	24. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer under this Act or any official acting under the directions of such officer, for anything which is in good faith done or intended to be done under the provisions of this Act or any rule made thereunder.	
Power to remove difficulties.	25. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such provision, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:  Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.  (2) Every order made under this section shall, as soon as may be, after it is made, be laid before the State Legislature.	
Exclusion of jurisdiction of civil courts	26. Except as otherwise provided in this Act, no civil court shall entertain any suit instituted or application made to obtain a decision or order in respect of any matter which the Government or any officer is by this Act empowered to determine or dispose of.  27. The officers under this Act and any person acting under their orders may, in the discharge of any duty under this Act, enter upon and survey land in the manner prescribed, put and erect survey marks thereon and demarcate the boundaries thereof and do all other such acts necessary for the proper performance of that duty	Powers of officers to enter upon land, dwelling and habitation areas, survey units for the purposes of survey and demarcation
	28. (1) If any person willfully destroys, dismantles or without lawful authority removes a survey or demarcation mark lawfully erected or put, he may be ordered by the Recording and Resolution Officer to pay such fine not exceeding rupees one thousand for each mark so destroyed, dismantled or removed, as may, in the opinion of that officer, be necessary to defray the expenses of restoring the same and rewarding the person, if any, who gave information of the destruction, dismantling or removal.  (2) The amount of fine levied under sub-section (1), if not paid in the manner prescribed, shall be recoverable as arrears of land revenue under the Revenue Act.  (3) The imposition of a fine under this section shall not bar a prosecution under section 434 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860); or prosecution of the offender under any other law for the time being in force.	Penalty for destruction, dismantling or removal of survey marks and demarcation
	29. (1) The Government may, by notification, in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.	Power of the Government to make rules.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters under this Act, namely: -

- (a) the composition and members of the village committee;
- (b) the appointment or nomination of officers under this Act for carrying out its intent and purpose;
- (c) the documents to be comprised in the standing record of rights;
- (d) the manner in which the standing records of rights is to be prepared, displayed and published;
- (e) the procedure for the transfer of the standing records-of-rights prepared under this Act to the revenue authorities under the Revenue Act;
- (f) the procedure for the imposition and deposit of fine imposed by the Recording and Resolution Officer for willfully destroying, dismantling or without lawful authority removing a survey demarcation mark;
- (g) the forms for the service of summons, display, publication, preparation and maintenance of records under this Act;
- (h) the manner in which boundaries of all or any survey unit are to be demarcated and the survey marks to be erected thereon;
- (i) for issuing of copies and certified copies, including digitized copies of record, order and documents prepared and maintained under this Act and the rules made thereunder; and
- (j) any other matter for giving effect to the provisions of this Act, or may be prescribed under this Act.

**S.K. AGGARWAL,**

**Secretary to Government of Punjab,**

**Department of Legal and Legislative Affairs.**